



2026:AHC:25133-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील दोषपूर्ण सं. - 61 सन् 2026

श्री बालवीर सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

पीठासीन अधिकारी औद्योगिक प्राधिकरण और 3 अन्य

....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अजय कुमार पटेल, नोलम सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: पंकज कुमार शुक्ला

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह अपील माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिट सी संख्या 8022/2017 में दिनांक 13.12.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है; जिसके द्वारा, औद्योगिक न्यायाधिकरण (4), उ.प्र., आगरा द्वारा दिनांक 19.10.2016 को पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

2. यह अपील 739 दिनों की देरी से दायर की गई है।

3. विलंब माफी का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया गया है। आवेदन में बताए गए कारण, 739 दिनों की भारी देरी को माफ करवाने के लिए, पूरी तरह से सतही और अपर्याप्त हैं।

4. उपरोक्त के अलावा, यह अपील स्वयं भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII, नियम 5 के तहत विचारणीय नहीं है।

5. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने 'वज्र यज्ञ सीड फार्म कल्याणपुर बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय-II, उ.प्र., कानपुर (इलाहाबाद) (DB): 2003 (1) UPLBEC 496' के मामले में, पूरे मुद्दे पर विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला कि औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न होने वाली अपील विचारणीय नहीं है।

6. उपरोक्त के आलोक में, यह अपील विचारणीय न होने के कारण खारिज की जाती है।

फरवरी 5, 2026

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"